

प्रपत्र VII
आदेश-पत्र के लिए फार्मेट
(नियम 18 देखें)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-XIII सह विशेष उत्पाद कोर्ट न0-01, गोपालगंज
केस न0- उचकागाँव सिरियल न0- राज्य बनाम राज किशोर महतो

1. अभियुक्त का नाम- राज किशोर महतो
2. उम्र- 40 वर्ष
3. पिता का नाम- राज किशोर महतो
4. पता- सा0- रामपुरा थाना- उचकागाँव जिला- गोपालगंज
5. गिरफ्तारी की तिथी समय और स्थान- 5.2.26 दिनांक. 5.3.26 समय.. 18:56 बजे
6. पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथी. 06/3/26
पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जाँच रिपोर्ट को अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।


अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक. 5.2.26 को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह. शरणापारिण पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया है

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है। उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मैं प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरुद्ध आरोप सुआधारित है।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-37 के अधीन 2000/..... रुपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 दिनों के कारावास भोगने का दंडप्रदेश दिया जाता है। ~~इस कारा में बिताए हुए अवधि को समायोजित किया जाता है।~~

तिथी:- 06/3/26
स्थान:- गोपालगंज


जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-XIII

सह
विशेष उत्पाद कोर्ट न0-01, गोपालगंज।